कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

कमांक प.(14) विविध ॥/उवसं/2018 / 6951-53 दिनांकः– 20/8/18

निमित्त,

Associate Director (PHWR-P),
NPCIL, Nabhikiya Urja Bhavan,
Anushakti Nagar, Mumbai – 400094

विषय :– Forest clearance in respect of Mahi Banswara Atomic power project 1to4.

सन्दर्भ :–आपका पत्रांक NPCIL/MBRAPP 1 to 4/Hq/2018/M/ दिनांक 02.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा जिला बांसवाड़ा में ग्राम बारी, आड़ीभीत, सजवानिया, रेल, कटुंबी, लालपुर एवं वांक में माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 1 से 4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक प.4(6) राज./2017/4023 दिनांक 20.12.2017 से ग्राम कालाखेत, तहसील छोटी सरवन के सर्वे नंबर 255 में से वन विभाग हेतु आरक्षित 24.75 हेक्टेयर गैर वन भूमि का क्षेत्रीय वन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा आपके प्रतिनिधि, राजस्व विभाग एवं वन मंडल के सर्वेयर के साथ मौका निरीक्षण करने पर पाया गया है कि वन विभाग हेतु आरक्षित की गई 24.75 हेक्टेयर गैर वन भूमि में विभिन्न स्थानों पर लगभग 20 से 25 खातेदार खेती कर रहे हैं एवं इनमें से 5 से 7 व्यक्तियों के मकान भी बने हुए हैं एवं अन्य अतिक्रमण भी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार आरक्षित की गई भूमि वानिकी विकास एवं प्रबंधकीय दृष्टिकोण से वन विभाग हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई है।

अतः कृपया उक्तानुसार आरक्षित की गई वन भूमि के स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र उपयुक्त गैर वन भूमि का आरक्षण करवाकर KML File भी प्रस्तुत करावें। इसके अलावा प्रकरण में जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के एक अन्य आदेश क्रमांक प.4(6) राज. /2017/1349–54 दिनांक 03.04.2017 से ग्राम भूराकुआ तहसील कुशलगढ़ के विभिन्न खसराओं में भी कुल 75.37 हेक्टेयर गैर वन भूमि आरक्षित की गई है जिसके संयुक्त मौका निरीक्षण की कार्यवाही प्रकिया में है। यदि यह भूमि भी वन विभाग हेतु अनुपयुक्त पाई जाती है तो उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावें।

(सुगनाराम जाट)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कमांक प.(14) विविध ॥/उवसं/2018 / दिनांक :

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\New folder\Mayank\NPCIL\New Microsoft Office Word Document V2.docx